छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 107/2006</u>

श्री केदारनाथ पटेल .... अपीलार्थी
ए–9/1, नार्थ एवेन्यू,
राजीव नगर
रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी .... प्रतिअपीलार्थी
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(13 सितम्बर 2006)

श्री केदारनाथ पटेल निवासी रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आवेदन पत्र दिनांक 25.11.05 से जानकारी मांगी थी कि स्वयं अपीलार्थी को रसायन विज्ञान के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में कितना–कितना अंक प्राप्त हुआ। इस विषय में कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, स्किल्ड अंको की गणना किस प्रकार की गई तथा अंतिम रूप से चयन किये गये छात्रों की जानकारी भी प्रपत्र में चाही गई। उक्त संबंध में दिनांक 27.01.06 को लोक सेवा आयोग के सहायक जन सूचना अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी करने के पश्चात् संयुक्त अंकसूची उम्मीदवारों को भेजी जावेगी। साक्षात्कार में सम्मिलित उम्मीदवारों की अंकसूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने सूचना अधिकारी को निर्देश दिये कि चूंकि परीक्षा समाप्त हो गई और परिणाम भी घोषित हो चुके हैं अतः अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी उसे उपलब्ध कराई जावे। यदि जानकारी प्रदान करने में कोई कठिनाई हो तो अपीलार्थी को सूचित किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दिनांक 29.05.06 को जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 10.03.06 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। आयोग के द्वारा विलम्ब से जानकारी उपलब्ध कराने के कारण तत्कालीन दोनों जन सूचना अधिकारियों को 5–5 हजार रूपये का अर्थदण्ड क्यों न जारी किया जाए, इसका आदेश दिया गया। दिनांक 18.07.06 को सुश्री रीता शांडिल्य, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया कि परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए परीक्षा नियंत्रक को सह जन सूचना अधिकारी घोषित किया गया था। अतः जानकारी उन्हें उपलब्ध कराना था। सुश्री रीता शांडिल्य का जवाब संतोषजनक होने से उनके विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त किया गया

तथा श्री बी.पी. कश्यप, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा दिनांक 29.08.06 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

2. दिनांक 29.08.06 को आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी डॉ बी.पी कश्यप को सुना गया। अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

3. जन सूचना अधिकारी डॉ कश्यप ने बतलाया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा सहायक जन सूचना अधिकारी जे.एस. नायक एवं गोपनीय कक्ष लिपिक श्री एच.एल. ध्रुव को निर्देशित किया गया था। मांगी गई जानकारी के स्वरूप को देखते हुए सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन लेने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। उन्होंने बतलाया कि उनके द्वारा जानकारी देने में जानबुझकर विलम्ब नहीं किया गया। जानकारी गोपनीय थी तथा इस संबंध में कोई विस्तृत निर्देश भी नहीं थे। श्री जे.एस. नायक को जानकारी देने के लिए अधिकृत किया गया था, अतः प्रतिअपीलार्थी ने स्वयं को उत्तरदायी न मानते हुए शास्ति आरोपित किये जाने का नोटिस निरस्त करने हेतु प्रार्थना की। श्री नायक का कथन है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जानकारी प्रदान करने में त्रुटि नहीं की गई। उनके द्वारा परीक्षा नियंत्रक (जन सूचना अधिकारी) के निर्देशन में कार्य किया गया है। अंकसूची परीक्षा के समाप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थियों को भेजी जा चुकी है। प्रकरण से स्पष्ट है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिनांक 24.12.05 के पत्र द्वारा लोक सेवा आयोग को सूचित किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ही छूट दी जा सकती है। इस संबंध में स्वयं आयोग विचार करे। आयोग के द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा प्रकरण क्रमांक 207/आईसी(ए)/2006 विवेक कुमार विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रकरण क्रमांक 214/आईसी(ए)/2006 रूपाली अग्रवाल विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग में दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसमें कि यह उल्लेख किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कार्यवाही गोपनीय होती है, इसकी उत्तरपुस्तिकाऐं बताना जनहित में नहीं होगा। प्रतियोगियों की परीक्षा उपरांत अंकसूची वेबसाइट में दे दी गई है तथा अपीलार्थी को भी इस संबंध में सूचित किया गया। जहां तक परीक्षा की स्किल्ड पद्धति से अंको की गणना का संबंध है, यह गोपनीय श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 8 (1)(ई) के अनुसार परीक्षा से संबंधित जानकारी व्यापक लोकहित में दिया जाना उचित नहीं माना जा सकता।

4. चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है अतः परीक्षाओं से संबंधित ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती जिससे कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हो। अपीलार्थी भी अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुपस्थित रहा, इससे प्रतीत होता है कि उसे जानकारी प्राप्त करने में तथा प्रकरण में कोई रूचि नहीं है। सूचना अधिकारी श्री बी.पी. कश्यप को जारी अर्थदण्ड नोटिस निरस्त किया जाता है।

5. अतः समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)